



2026:AHC:28331

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 741 वर्ष 2026

ओमप्रकाश द्विवेदी

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : आदित्य कुमार राय, रितिक कुमार मिश्रा
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. सुश्री ऋषिका मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, जो श्री आदित्य कुमार राय, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का वाद धारण कर रही हैं, राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से उपस्थित श्री आज़ाद राय, विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मूलतः यह राहत प्रार्थित की गई है कि प्रतिवादी संख्या-2/उपजिलाधिकारी, हंडिया, प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वाद संख्या 2946 वर्ष 2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202402030402946) का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आज तक इस प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है।
4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित न्यायालय उपर्युक्त वाद का निस्तारण विधि के अनुसार यथाशीघ्र करें तथा अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर निर्णय पारित करें, परन्तु अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)



24 फरवरी, 2026
प्रमोद त्रिपाठी